न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, गरौठा, जिला झांसी।

मुकदमा संख्या- 1373/ 2021

सरकार बनाम पंचम सिंह।

धारा- 60 आबकारी अधिनियम
थाना- टहरौली, जिला- झांसी।
मु. अ. सं. - 71/ 2021

मै, **सुनील शेखर,** न्यायिक मजिस्ट्रेट, गरौठा, जिला झांसी आप अभियुक्त **पंचम सिंह** को निम्न रूप में आरोपित करता हूंः-

1- यह कि दिनांक 23. 05. 2021 को समय 22. 35 बजे व स्थान बघैरा तिराहा के पास वहद ग्राम बघैरा थाना टहरौली, जिला- झांसी में पुलिस द्वारा आपको गिरफ्तार किया गया एवं आपके कब्जे से एक अदद प्लास्टिक की बोरी में 53 पाउच नाजायज कच्ची शराब बरामद की गयी। इस प्रकार आपने आबकारी अधिनियम की **धारा 60** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

अतएव मैं एतदद्वारा आपको निर्देश देता हूं कि उपरोक्त आरोप के लिए आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जावेगा।

दिनांक- 03. 12. 2021

(सुनील शेखर)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
गरौठा, झांसी।

उपरोक्त आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने आरोप से इन्कार किया व विचारण की याचना की।

दिनांक- 03. 12. 2021

(सुनील शेखर)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
गरौठा, झांसी।

अवधेश प्रताप सिंह
आशुलिपिक